

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1410

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना

1410 श्री हारिस बीरान:

श्रीमती रंजीत रंजन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और प्रतिभागियों का वर्ष-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, लिंग-वार और श्रेणी-वार (एससी, एसटी और ओबीसी) ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) परियोजना स्वीकृति और धनराशि संवितरण के बीच लगने वाला औसत समय कितना है और यदि कोई विलंब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या रोजगारपरकता और सेवा गुणवत्ता पर योजना के परिणामों की कोई लेखापरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय अपनी “सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)” योजना के तहत सरकारी एवं पैनलबद्ध निजी संस्थानों के माध्यम से आतिथ्य और पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है।

इन कार्यक्रमों में हुनर से रोजगार तक, उद्यमिता कार्यक्रम, कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन, पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

इस योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण संचालित करने के लिए लक्ष्य नियत किए जाते हैं और योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार वांछित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर ही निधियों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के माध्यम से सीबीएसपी योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है। क्यूसीआई ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में इस योजना को जारी रखने की सिफारिश की है, क्योंकि इसने भारत के पर्यटन और आतिथ्य कार्यबल को उल्लेखनीय रूप से सशक्त बनाया है।

वर्ष 2020 से 31 अक्टूबर, 2025 तक स्वीकृत और प्रतिपूर्ति की गई निधियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

श्री हरिस बीरान और श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) योजना के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 1410 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक सीबीएसपी योजना के तहत प्रशिक्षित/प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या (31 अक्टूबर, 2025 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	0	63	0	0	174	0	237
2.	अरुणाचल प्रदेश	363	0	152	120	0	0	635
3.	असम	109	185	375	493	1155	0	2317
4.	बिहार	343	210	134	123	1179	0	1989
5.	चंडीगढ़	25	0	468	112	0	0	605
6.	छत्तीसगढ़	49	79	67	30	265	0	490
7.	दिल्ली	85	210	79	373	1622	300	2669
8.	गोवा	0	0	0	30	0	0	30
9.	गुजरात	25	660	264	0	142	0	1091
10.	हरियाणा	266	473	900	636	2591	0	4866
11.	हिमाचल प्रदेश	383	754	488	315	5409	0	7349
12.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	1108	1054	1309	1096	11753	0	16320
13.	झारखंड	143	224	86	240	1600	60	2353
14.	कर्नाटक	279	350	203	343	1908	0	3083
15.	केरल	753	1500	58	153	240	0	2704
16.	मध्य प्रदेश	1929	5289	4727	6838	9429	0	28212
17.	महाराष्ट्र	153	110	647	420	6487	0	7817
18.	मेघालय	313	212	202	171	207	0	1105
19.	मणिपुर	0	0	0	0	743	0	743
20.	मिजोरम	660	0	834	0	47	0	1541
21.	ओडिशा	881	656	441	270	1130	0	3378

22.	पुदुचेरी	0	0	67	60	0	0	127
23.	पंजाब	675	1013	1012	1337	4276	0	8313
24.	राजस्थान	226	144	593	1453	5517	0	7933
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	2267	2538	3137	3644	2324	60	13970
27.	तेलंगाना	210	417	546	725	3525	0	5423
28.	उत्तर प्रदेश	320	4729	3418	3368	16914	120	28869
29.	उत्तराखंड	399	871	1116	1361	3929	0	7676
30.	पश्चिम बंगाल	0	142	251	226	6804	30	7453
31.	लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	121	151	0	0	0	0	272
32.	नागालैंड	0	0	67	216	431	0	714
	कुल	12085	22034	21641	24153	89801	570	170284

*वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक के आंकड़े दिए गए हैं।

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक सीबीएसपी योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या (31 अक्टूबर, 2025 तक)								
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	391095	0	0	0	0	0	391095
2.	अरुणाचल प्रदेश	578760	550515	483727 6	0	302037 4	0	898692 5
3.	असम	162266 8	418103 0	403188 9	27188	148819 3	5688535	170395 03
4.	बिहार	191901 3	0	505220	146426 9	318927	0	420742 9
5.	चंडीगढ़	184286 02	0	137627	826323	312048	0	197046 00
6.	छत्तीसगढ़	215604 8	827720	114720 0	0	0	0	413096 8
7.	दिल्ली	120570 73	284841 4	112162 5	195907 93	154531 744	0	190149 649
8.	गोवा	157125 16	0	32690	41820	70442	0	158574 68

9.	गुजरात	213032 0	0	609971	116256	0	605016	346156 3
10.	हरियाणा	318028 2	762166 6	970016 5	632630 0	119452 6	1152167 6	395446 15
11.	हिमाचल प्रदेश	170703 0	907310 6	294152 0	154871 4	575632	0	158460 02
12.	जम्मू और कश्मीर	937439 6	118820 03	819023 8	148229 54	118098 3	1133351	465839 25
13.	झारखंड	270120	132270 0	0	294962 8	0	1861752	640420 0
14.	कर्नाटक	344917 5	137520 8	625207	424253 5	124049 0	0	109326 15
15.	केरल	159712 23	399424 53	615412 4	418700 99	0	0	103937 899
16.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	160288 29	184317 62	377165 02	324954 16	538526 57	2983209 0	188357 256
18.	महाराष्ट्र	579920 0	816574 0	164457 5	100000 0	0	1018621 0	267957 25
19.	मेघालय	202436 3	277741 7	203268 5	461702	881266	553713	873114 6
20.	मिजोरम	0	942546 0	0	250888 7	460200	0	123945 47
21.	ओडिशा	254627 07	261005 31	227550 0	909534 3	0	510001	634440 82
22.	पुदुचेरी	0	0	0	750000	0	0	750000
23.	पंजाब	0	0	627189 4	233169 8	273431 3	2195914	135338 19
24.	राजस्थान	0	0	399590 9	138120 0	357696	2276671 9	285015 24
25.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
26.	तमिलनाडु	170463 01	164832 91	921280 0	100432 73	152636 30	2326044 3	913097 38
27.	तेलंगाना	117243 58	977221 5	542932 4	350000	78100	4353298	317072 95
28.	उत्तर प्रदेश	264990 04	140461 21	178921 65	240385 47	267480 91	1000937 8	119233 306

29.	उत्तराखंड	210053 76	890947 5	294678 2	182844 95	491668	2910858 6	807463 82
30.	पश्चिम बंगाल	211646 1	310353	282350	71455	785500	0	356611 9
31.	त्रिपुरा	0	0	0	0	156761	0	156761
32.	नागालैंड	0	0	0	0	0	5991404	599140 4
	कुल	216654 920	194047 180	129735 238	196638 895	265743 241	1595780 86	116239 7560

स्रोत: पर्यटन मंत्रालय
